पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 04 व एनबीडब्लू में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 09.09.2023

दिनांक 08/09-09-2023 को रात्रि थाना आशियाना 01, गोमतीनगर 01, हजरतगंज 01, सुशान्त गोल्फ सिटी 01 व एनबीडब्लू में थाना आलमबाग 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 04 व एनबीडब्लू में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना गोसांईगंज-दिनांक 09.09.2023 को थाना गोसांईगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री आनंद कुमार पाण्डेय पुत्र श्री राज कुमार पाण्डेय निवासी- ग्राम परेहटा थाना गोसांईगंज लखनऊ ने थाना गोसांईगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 08/09.09.2023 की रात्रि करीब 01.30 से 03.00 बजे के मध्य वादी के घर मे लॉकर में रखे उसमें रखे सोने चांदी के कीमती जेवरात व लगभग 03 लाख रूपये नगद को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। चोरी करने के बाद घर का पीछे का दरवाजे का ताला तोड़कर भाग गए। **इस सूचना पर थाना गोसांईगंज पर मु0अ0सं0- 398/2023 धारा 380/457 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना गोमतीनगर विस्तार-दिनांक 09.09.2023 को थाना गोमतीनगर विस्तार द्वारा बताया गया कि श्री शनिदुल पुत्र मेहर अली निवासी- बाघामऊ सेक्टर-6 मलेसियामऊ पावर हाउस थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ ने थाना गोमतीनगर विस्तार पर सूचना दिया कि उसकी बगल की झोपड़ी में सहआलम पुत्र परस अली निवासी किरकिरा रिजर्व नोली गांव थाना सुधाबारी जनपद बरपेटा राज्य असम अपनी पत्नी शाहीमाना खातून के साथ रहता है, जो कि रिश्ते में उसका बहनोई लगता है। दिनांक 08/09.09.2023 की रात्रि शाहीमाना खातून उम्र करीब 22 वर्ष ने उक्त झोपड़ी में बांस में दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया है। जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। शाहीमाना खातून व सहआलम का विवाह लगभग 08-09 माह पूर्व हुआ था। **आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना मडियांव-दिनांक 09.09.2023 को थाना मडियांव द्वारा बताया गया कि वादी श्री इन्द्रप्रकाश चौधरी पुत्र स्व0 खूबचन्द निवासी- म0नं0- 643न/167 नायक नगर सीतापुर रोड थाना मड़ियांव लखनऊ ने थाना मडियांव पर सूचना दिया कि दिनांक 08.09.2023 को सुबह समय करीब 09.30 बजे वादी के मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया कि वादी द्वारा जो बिजली के बिल का आनलाइन जो भुगतान किया गया है उसका अद्यतन न होने के कारण विभाग द्वारा रात में बिजली कनेक्शन काट दिया जायेगा तथा साथ में दिए गए नम्बर पर सम्पर्क करने को कहा गया। इस पर वादी ने दिए गए नं0 पर कॉल किया तो उधर से एक लिंक पर 10/-रू0 का ट्रान्जेक्शन करने के लिए कहा ताकि सिस्टम में अपडेट हो सके। उसके बाद कॉल कट कर दिया गया। बाद में वादी को उक्त रकम निकल जाने का मैसेज आया तब वादी को पता चला कि वादी का मोबाइल फोन हैकिंग व धोखाधड़ी कर (वादी के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के बचत खाता से) तीन बार में कुल 01 लाख 38 हजार 200 रू0 निकाल लिया गया है। वादी द्वारा बैंक से पता करने पर जानकारी मिली कि उक्त रकम पीओएस के माध्यम से निकाली गई है। वादी के मोबाइल पर सवा दो बजे एक और कॉल आई जिसने यह बताया कि उसके न0 से उसको फ्राड संबन्धी कॉल आई है और इतना कह कर अशोभनीय शब्दो का प्रयोग कर कॉल काट दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त द्वारा वादी का मोबाइल फोन हैक कर अन्य लोगों से भी ठगी का प्रयास किया जा रहा है। **इस सूचना पर थाना मडियांव पर मु0अ0सं0- 469/2023 धारा 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना मदेयगंज</u>- दिनांक 09.09.2023 को थाना मदेयगंज द्वारा बताया गया कि श्रीमती शाबना खातून पत्नी मो0 उस्मान निवासी- झोपड़ी पट्टी मछली मंडी पक्का पुल के पास थाना मदेयगंज लखनऊ ने थाना मदेयगंज पर सूचना दिया कि उसका पुत्र वाजिद उम्र करीब 10 वर्ष दिनांक 08.09.2023 को सुबह समय करीब 10.00 बजे रोजाना की तरह पक्का पुल के नीचे गोमती नदी में चुंबक से सिक्के निकालने गया था। देर शाम तक जब उसका पुत्र वापस नही लौटा तो वह उसको ढूढ़ने लगी तो उसे नदी किनारे अपने पुत्र के कपड़े मिले वहाँ दूसरे लड़को ने बताया कि वाजिद कपड़े उतार कर नदी में कूदा था पर बाहर निकलते नही देखा गया। दिनांक 08.09.2023 को समय करीब 23.30 बजे गोताखोरो की मदद से वाजिद का शव नदी से बाहर निकाला गया। उसके पुत्र वाजिद की नदी में डूबने के कारण मृत्यु हो गई है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री सुमित कुमार मो0नं0- 6397418321 द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक के पिता मजदूरी करते है।